न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 13 / 2020

1 शंकरलाल उम्र 35 साल पुत्र कालूराम जाति गुर्जर निवासी भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 चौथमल पुत्र बोदूराम जाति गुर्जर निवासी भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
2 भंवरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
3 सुभाषचन्द्र यादव पुत्र फूलचन्द यादव जाति यादव निवासी ढाणी नीजरवाली तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 पटवारी पटवार हल्का बरसिंहपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 उप पंजीयक खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 तहसीलदार भू–धारी जरिये राज्य सरकार तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

7 धर्माराम उम्र 32 साल
8 नरसी उम्र 35 साल
9 देवाराम उम्र 23 साल पुत्र कालुराम
जाति गुर्जर निवासीगण भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955
विरूद्ध आदेश विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
मुकदमा संख्या 157/2014 लाडा देवी चौथमल उनवानी
शंकरलाल निर्णय दिनांक 22.11.2019 के विरूद्ध

उपस्थिति :

1. श्री मोहन सिंह मूण्ड, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 157/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 15, 16, 49 ता 53, 62, 267, 335 ता 340, 342 ता 347, 354 ता 368 वाके भोजपुर तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर उसका हमेशा से ही आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जर्द है तथा भूमि पर हमेशा से ही निरन्तर आज दिनांक तक बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा रेस्पोडेन्टस द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवैधानिक तरीके से विवादित भूमि बाबत प्रकरणों को कन्सोलिडेट करवा कर भंवरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के हक हिस्से में अस्थाई निषेधाज्ञा को हटवा दिया गया है तथा उक्त अवैधानिक कृत्य को अंजाम देने के पश्चात भंवरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह द्वारा विवादित भूमि को दिनांक 25.11.2019 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अजनबी व्यक्ति को बेचान कर दिया गया है तथा अब राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवा कर मौके पर उत्पाद मचाने पर उतारू है। विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्ष द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनों को ना तो कन्सोलिडेट करने बाबत कोई निवेदन किया गया और ना ही लिखित में किसी प्रकार का कोई आवेदन ही पेश किया गया तथा तीनों ही वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा में ना तो पक्षकार समान है ना ही विषय वस्तु समान है और ना ही वाद कारण ही समान है। विचारण न्यायालय द्वज्ञरा ना तो अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को स्वीकार किया गया है ना ही खारिज किया गया है और ना ही किसी भी तथ्य/बिन्दु पर किसी प्रकार की कोई विवेचना ही की गई है तथा मनमर्जी से भंवरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के हक हिस्से में अस्थाई निषेधाज्ञा हटाने में भारी गलती की है। विचारण न्यायालय द्वारा भंवरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के हक हिस्से से अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाने का कोई कारण तक नहीं बताया गया है। न्यायालय में मूल कार्यवाही के विचाराधीन रहते विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखी जानी चाहिए तथा मनमर्जी से किसी प्रकार विशेष के हक हिस्से से अस्थाई निषेधाज्ञा को कतई नहीं हटाया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा मनमर्जी से प्रकरणों को कन्सोलिडेट कर बगैर तथ्यों व बिन्दुओं पर विवेचना किये अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को फैसला करने बाबत कोई कारण या आधार तक नहीं बताया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्ष द्वारा प्रकरण को कन्सोलिडेट करने बाबत किसी प्रकार का कोई आवेदन ही पेश नहीं किया गया है और ना ही किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र ही पेश किया गया है तथा सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर सरासर गलत आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी तथ्य/बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही किसी प्रकार का कोई विवेचन किया गया है तथा सरासर नोन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है जो कानून की नजर में आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर फैसला विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर दिनांक 22.11.2019 निरस्त करते हुए भंवरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के हक हिस्से को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए सम्पूर्णतः विवादित भूमि पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बावत भूमि खसरा नम्बर 15, 16, 49 ता 53, 62, 267, 335 ता 340, 342 ता 347, 354 ता 368 वाके भोजपुर तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में आवेदक चौथमल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम भोजपुर की भूमि खसरा नम्बर 15, 16, 53, 62 के संदर्भ में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 की जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 06.02.2015 को जरिये वकील उपस्थित होने के पश्चात विचाराधीन निर्णय पारित करने की दिनांक 22.11.2019 तक न तो जवाब प्रस्तुत किया गया है, न ही काउंटर टी. आई. प्रस्तुत की गई है एवं न ही अन्य चाराजोही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से उभयपक्षों को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। विचाराधीन प्रकरण में खसरा नम्बर 15, 16, 53, 62 वाके ग्राम भोजपुर के सहखातेदार भंवर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचाराधीन अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में भंवरसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उसके हिस्से को स्थगन से मुक्त किया जावें। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से भंवर सिंह के हिस्से को मुक्त कर शेष पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा भंवर सिंह के विरूद्ध नहीं चाही गई थी। ऐसी स्थिति में अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के स्तर पर अपीलान्ट भंवर सिंह के संदर्भ में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बावत भूमि खसरा नम्बर 15, 16, 49 ता 53, 62, 267, 335 ता 340, 342 ता 347, 354 ता 368 वाके भोजपुर तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में आवेदक चौथमल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम भोजपुर की भूमि खसरा नम्बर 15, 16, 53, 62 के संदर्भ में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 की जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 06.02.2015 को जरिये वकील उपस्थित होने के पश्चात विचाराधीन निर्णय पारित करने की दिनांक 22.11.2019 तक न तो जवाब प्रस्तुत किया गया है, न ही काउंटर टी.आई. प्रस्तुत की गई है एवं न ही अन्य चाराजोही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से उभयपक्षों को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया गया है।

विचाराधीन प्रकरण में खसरा नम्बर 15, 16, 53, 62 वाके ग्राम भोजपुर के राहखातेदार भंवर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचाराधीन अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में भंवरसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उसके हिस्से को स्थगन से मुक्त किया जावें। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से भंवर सिंह के हिस्से को मुक्त कर शेष पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा भंवर सिंह के विरूद्ध नहीं चाही गई थी। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलान्ट भंवर सिंह के संदर्भ में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर